



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 127 राँची, सोमवार,

4 मार्च, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

20 दिसम्बर, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-248/2014 का०-7142--श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5470 दिनांक 22.12.2012 द्वारा इनके विरुद्ध आरोप पत्र की प्रति लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-10(1) (क) के तहत उपलब्ध कराते हुए आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री उमेश कुमार यादव, गोंदलपुरा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष द्वारा तैयार की गई वर्ष 2009 के राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ पाने वाले किसानों की सूची को बिना प्राप्ति रसीद के ही जांच कर सत्यापित किया, जिसके कारण 40 वैसे किसान जिन्होंने बीमा राशि जमा किये थे, लाभ पाने से वंचित रह गये तथा किसानों की सूची में नाबालिक बच्चों एवं गोंदलपुरा पैक्स क्षेत्र से बाहर के किसानों को भी बिना जांच के सत्यापन कर पैक्स नियमावली के विरुद्ध बीमा राशि का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया ।

पुनः लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3804, दिनांक 19.09.2013 द्वारा परिवाद सं०-01/लोक (सह०)-02/2012 में माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 11.09.2013 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में श्री कुँवर के विरुद्ध विभागीय स्तर पर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प सं०-10464 दिनांक 29.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-234 दिनांक 03.06.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-7606, दिनांक 21.08.2015 द्वारा श्री कुँवर के विरुद्ध सेवा-संपुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि को दण्ड स्वरूप सेवा-संपुष्टि की तिथि से अगले चार वर्षों तक बढ़ाये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

संबंधित मामले में श्री कुँवर के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०-41/13 दिनांक 02.11.2013 में विधि विभाग के आदेश सं०-32/जे० दिनांक 19.07.2016 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुँवर द्वारा समर्पित पुनर्विचारअपील अभ्यावेदन एवं पूरक अपील अभ्यावेदन के आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक-1257/भ्र०नि० दिनांक 31.01.2017 द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड में 19.01.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना दी गई, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं०-1251, दिनांक 08.02.2017 द्वारा कारा निरुद्ध की तिथि 19.01.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक श्री कुँवर को निलंबित किया गया। हिरासत से मुक्त होने के पश्चात विभागीय आदेश सं०-6203, दिनांक 15.05.2017 द्वारा पुनः निलंबित किया गया।

विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री कुँवर के विरुद्ध पूर्व में संकल्प सं०-7606, दिनांक 21.08.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प सं०-9776 दिनांक 13.09.2017 द्वारा निरस्त किया गया तथा श्री कुँवर को सरकारी सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-9962, दिनांक 20.09.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 20.11.2017 एवं 15.05.2018 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-9124, दिनांक 24.08.2020 द्वारा श्री कुँवर को निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-4300, दिनांक 01.09.2020 द्वारा पूर्व में प्रस्तावित दण्ड "सेवा से मुक्त" के स्थान पर झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के परन्तुक के आलोक में इस मामले को आपवादिक/ विशेष मामला मानते हुए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया है

(क) श्री कुँवर के विरुद्ध विचाराधीन निगरानी थाना कांड संख्या-41/13, दिनांक 02.11.2013 में अंतिम न्यायादेश आने तक उनकी सेवा सम्पुष्टि पर रोक ।

(ख) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत सेवा सम्पुष्टि का आदेश निर्गत की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक ।

श्री कुँवर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा Cr. Rev. No. 756 of 2022 में दिनांक 16.06.2023 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निलंबन अवधि दिनांक 19.01.2017 से 23.08.2020 तक वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया। माफ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2023 को पारित आदेश का Operative part निम्नवत् है

"15. In the present case as discussed above the departmental proceeding has exonerated the petitioner of the charges of financial irregularity and observed that the dereliction of duty was on account of his first posting as Block Development Officer. Exoneration of an officer in a departmental proceeding may not in all cases ipso facto result in dropping the criminal proceeding against him. Application of ratio decidendi relied upon on behalf of the petitioner on this point shall depend upon the facts and circumstance of each case. If there are clinching and convincing evidence of one's criminal liability then he may not be exonerated in a criminal case, perforce his exoneration in a departmental proceeding. In the present case however, considering the limited role of this petitioner and drought of evidence except the endorsement on the list of beneficiaries, the findings of the departmental proceeding will have a direct bearing showing absence of dishonest intention on his part in the offence. It has been held in *Dipakbhai Jagdishchandra Patel v. State of Gujarat*, (2019) 16 SCC 547 that By and large however if two views are equally possible and the Judge is satisfied that the evidence produced before him while giving rise to some suspicion but not grave suspicion against the accused, he will be fully within his right to discharge the accused.

Under the circumstance and for the reasons discussed above, this Court is of the view that there is no ground for presuming that the accused committed the offence in the absence of material disclosing dishonest intention.

The impugned order is accordingly set aside.

This Criminal Revision is allowed."

13. मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं श्री कुँवर से प्राप्त अभ्यावेदन के अलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया की पारित आदेश में इन्हें दोष मुक्त किया गया है, परन्तु श्री कुँवर के विरुद्ध उक्त मामला से संबंधित गठित आरोप पत्र पर विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात विभागीय संकल्प सं०-4300, दिनांक 01:09 2020 द्वारा दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

अतः श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा०प्र०से० (दिवतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के निलंबन अवधि दिनांक 19.01.2017 से 23.08.2020 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि उक्त अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के उप सचिव ।
